(2020) एस. सी. आर. 1090

एन टी पी सी लिमिटेड (सिम्हाद्री प्रोजेक्ट)

प्रति

राजीव चक्रवर्ती

(सिविल अपील नं० 2798/2020)

नवम्बर 16, 2020

**[ए० एम० खान विलकर, वी० आर० गवई एवं ह्रषिकेश राय, न्यायमूर्तिगण]**

*दिवाला एवं दिवालिया पन संहिता, 2016-*

*नियमित दिविाला समाधान प्रकृया-सूचना ज्ञापन-समाधान पेशेवर द्वारा तैयार किया गया-अपीलार्थी लेनदार का नाम "अन्य लेनदारों की सूची" में रखा गया था और यह परिचालित लेनदारों के दावों में परिलक्षित नहीं हुआ था।-अपीलार्थी का दावा है कि इसका नाम परिचालन लेनदारों के दावों में परिलक्षित होना चाहिए था-यह विनिश्चित किया गया कि चूंकि अपीलार्थी का दावा अभी भी मध्यस्थों के समक्ष निर्णय हेतु लंबित है, इसलिए ज्ञापन में जो वर्णन किया गया है वह सही है। जैसा कि अन्य लेनदारों का दावा है-सचूना ज्ञापन का उद्देश्य केवल कम्पनी की वित्तीय स्थिति के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। यह दावे का फैसला नहीं करता है। समाधार पेशेवर के पास दावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी का दावा तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि इसे किसी सक्षम मंच द्वारा या कानून को संचालित कर निर्णत नहीं कर लिया जाता। अपीलार्थी यदि अंतिम समाधान योजना से व्यथित है तो वह उचित उपचार का सहारा ले सकता है।*

दिवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारः दीवानी अपील सं० 2798/2020

राष्ट्रीय कम्पनी का अपीलेट ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के कम्पनी अपील संख्या (AT) (दिवालीया) सं० 493/2020

अपीलकर्ता की तरफ सेः श्री तुषार मेहता सालीसिटर जनरल एवं श्री गौरव, अधिवक्तागण

उत्तरदाता की तरफ सेः सर्व श्री सी० यू० सिंह, सीनियर एडवोकेट, सुश्री बनीता भार्गव, अयज भार्गव, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, मोहित किशोर, सुश्री वार्मिका त्रेहान एवं शिवांक दिव्दी, अधिवक्तागण।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

**<u>आदेश</u>**

हमने अभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है।

इस अपील में सीमित मुद्दा अपीलार्थी के दावे के संबंध में है जो समाधान पेशेवर द्वारा तैयार सूचना ज्ञापन में 'परिचालन लेनदारानें के दावे' शीर्षक के अंतर्गत प्रतिबिंबित नहीं किया जा रहा।

न्याय निर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह विचार व्यक्त किया है कि अपील्रथी का दावा पहले से ही सूचना ज्ञापन में “17 जुलाई, 2019 तक अन्य लेनदार दावों की सूची (संबंधित पक्ष के दावों, कर्मचारियों और कर्मचारियों के दावों को छोड़कर) शीर्षक के अंतर्गत नोट किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस बात की कोई शिकायत नहीं की गयी है कि उसमें उल्लिखित आंकड़ा गलत है।

अपीलार्थी के अनुसार दावे की राशि 'परिचालन लेनदारानें के दावे' शीर्षक के अंतर्गत दर्शायी जानी चाहिए थी। परन्तु हम इस निवेदन से सहमत नहीं है।

यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी का दावा अभी भी मध्यस्थ के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। इसलिए इसे, ज्ञापन में अन्य लेनदार दावों (निर्णय के राहत दावे) के रूप में उचित रूप से वर्णित किया गया है।

ज्ञापन का उद्देश्य केवल कम्पनी की वित्तीय स्थिति के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है। यह दावे पर निर्णय लेने या दावे की राशि की अवहेलना करने के विषय में नहीं है। यह कानून में ही मौजूद है। समाधान पेशेवर के पास दावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की कोई शक्ति/अधिकार नहीं है।

अपीलार्थी का दावा तब तक समाप्त नहीं होता जब तक कि उसपर किसी सक्षम मंच द्वारा या विधि के प्रवर्तन द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता। इस आशय के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं कि सूचना ज्ञापन में अपीलार्थी के दावे पर ध्यान दिया गया है तथा यह दावा इस तरफ समाप्त नहीं होता। यह मध्यस्थ द्वारा निर्णय के अधीन होगा। चूंकि यह ज्ञापन का हिस्सा है, इसलिए यह स्पष्ट है कि समाधान आवेदक अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय इसे ध्यान में रखेगा।

इसकी उचित सूचना लेनदारों की समिति द्वारा भी ली जायेगी और अंतिम समाधान योजना में उचित रूप से निपटाया जायेगा। यदि अपीलार्थी को अपने दावे के अनुसार अंतिम समाधान योजना में किये प्रावधान की प्रकृति या तरीके के बारे में कोई शिकायत है और यदि अंतिम समाधान योजना से व्यथित है तो कानून के अनुसार उचित उपचार का सहारा ले सकते हैं।

इस संबंध में अपीलार्थी के लिए सभी दलीलों को खुला छोड़ दिया जाता है। एक बार फिर यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी के दावे को समाप्त नहीं माना गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये इस दीवानी अपील का निपटारा किया जाता है।

जैसे ही अपील का निपटारा किया जाता है, पहले पारित अंतरिम आदेश खाली (vacate) हो जाता है।

इसके परिणामस्वरूप, हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित अधिकारी समाधान की प्रकृया में तेजी लायेंगे।

लंबित आवेदन यदि कोई हो तो उन्हें इस आलोक में निष्पादित किया जाता है ।

अपील निष्पादित की गई ।

अच्युतानंद उपाध्याय